रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2001/आश्विन 9, 1923

No. 265] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2001/ASVINA 9, 1923

LIBRARY 15/2/02

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2001

विषय : भारत में चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 51/1/2001-डीजीएडी.— मै0 दौराला आर्गेनिक्स लि0, दौराला, मेरठ, उ0प्र0 ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमे चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर (जिन्हे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डी (-)पारा हाइड्राक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच शुरु करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. **विचाराधीन उत्पाद**

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद है - "डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस (जिसे डी.(-) अलफा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन, डी (-) अल्फा पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस, डी (-) पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन, पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन बेस, पारा हाइड्रोक्सी फिनाईल ग्लिसीन " के रुप में भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध

सामग्री/पीएचपीजीबेस कहा गया है) विभिन्न आयातकों/विनिर्माताओं द्वारा संबद्ध वस्तु को स्वस्थानेः "डी (-)पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसीन मिथाइल पोटेशियम डेन साल्ट (जिसे इसके बाद पीएचपीजीडीएस" कहा गया है) में परिवर्तित कर उसका उपयोग आमोक्सीसिलीन (बल्क औषधि) और सेफाड्रौक्साइल के उत्पादन में किया जाता है ।

याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि पीएचपीजीबेस का वर्गीकरण अन्य कार्बनिक मिश्रण के श्रेणी में सीमा शुल्क अध्याय 29.42 के अंतर्गत किया जाता है । पीएचपीजी बेस का वर्गीकरण सीमाशुल्क उपशीर्ष सं0 2942.00 के अंतर्गत किया जाता है । आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार पीएचपीजी बेस का वर्गीकरण अन्य श्रेणी अर्थात 2942.0029 में किया जाता है । तथापि, उपरोक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है कि डीजीसीआईएण्डएस के आयातो से संबंधित मासिक आंकड़े केवल 2000-01 तक के लिए ही उपलब्ध हैं । मूल रुप से पाटन में बढ़ोत्तरी फरवरी, 2001 से हुई है जब याचिकाकर्त्ता ने अपना प्रायोगिक संयंत्र शुरु किया और भारत में विभिन्न ग्राहकों को नमूनों का वितरण किया । संबद्ध सामग्री अन्य श्रेणी में वर्गीकृत हैं, इसलिए डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं वे प्रतिनिधिक नहीं है क्योंकि अन्य कार्बनिक मिश्रणों की निकासी भी इनहीं सीमा शुल्क शीर्षों के अंतर्गत की जाती है ।

चूंकि पीएचपीजी बेस के बारे में डीजीसीआईएण्डएस के आंकड़ों से आयात संबंधी सही आंकड़ो का पता नहीं चलता है, इसलिए याचिकाकर्त्ता ने गौण स्रोत अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवा, मुंबई के आंकड़ों पर विश्वास किया है । इस एजेंसी द्वारा प्रदत्त आंकड़े सीमा शुल्क दैनिक सूचियों पर आधारित हैं ।

3. घरेलू उद्योग

यह याचिका मै0 दौराला आर्गेनिक्स लि0, द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ता भारत में संबद्ध सामग्री का एक मात्र उत्पादक है । याचिकाकर्त्ता प्रथम दृष्टया उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) की शर्तों के अनुसार याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदण्ड को पूरा करते हैं ।

4. शामिल देश

वर्तान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य और सिंगापुर हैं ।

5. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित माल संबद्ध देशों के मूल के या वहां से निर्यातित माल के समान वस्तु है । इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजन से याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित माल को उपरोक्त नियमो के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के "समान वस्तु" माना जा रहा है ।

6. सामान्य मूल्यः-

सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 की परिशिष्ट 1 में दिनांक 15.7.99 की अधिसूचना सं0 44/99-सीशु(गै0टे0)और बाद मे अधिसूचना सं0 28/2001(गैटे)दिनांक 31 मई, 2001 द्वारा संशोधन कर उसमें निम्नलिखित सिद्धांत 7 शामिल किया गया थाः

'गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित लागत के आधार पर अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से भारत समेत अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहॉ यह संभव न हो वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन, यदि आवश्यक हो, को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजन करके समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत समेत किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन संबद्ध देश के विकास स्तर और संदर्भाधीन उत्पाद को ध्यान मे रखते हुए, उचित ढंग से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसीय सूचना का विधिवत ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो वहां किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में, यदि कोई जांच की गई है, तो उसकी समय-सीमा का ध्यान भी रखा जाएगा । जाच संबंधी पक्षो को बाजार अर्थव्यवस्था

वाले तीसरे देश के उपरोक्त चयन की सूचना अविलम्ब दी जाएगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उचित समय सीमा प्रदान की जाएगी । "

इन नियमों मे दिनांक 31.5.2001 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं0 28/2001(गै0टै) द्वारा आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित सिद्धांत 8 सम्मिलित किया गया है ओर इसकी टिप्पणी में चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है ।

'इस पैराग्राफ की टिप्पणी के अनुसार "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" पद से तात्पर्य ऐसे प्रत्येक देश से है जो उक्त टिप्पणी में सूचीबद्ध है और इसमें ऐसा कोई भी देश शामिल है जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारण करते हैं और जो देश लागत और कीमत निर्धारण संबंधी ढांचे के बाजारू सिद्धांतों पर कार्य नहीं करता है जिससे कि ऐसे देश में वस्तुओं की बिक्री से उक्त वस्तु के उचित मूल्य का पता न चल सके । ऐसा निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या:-

(i) कच्ची सामग्रियों समेत कीमतों, लागतो और निविष्टियों, प्रौद्योगिकी एवं श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियों एवं निवेश के बारे में ऐसे देश की संबंधित फर्मों का निर्णय बाजारी संकेतों, जो आपूर्ति एवं मांग प्रदर्शित करते हैं, के अनुरूप और इस बारे में पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप के बिना लिया जाता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत से बाजार मूल्य पर्याप्ततः प्रदर्शित होते हैं,

(ii) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है जो पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली, खासकर परिसम्पत्तियों के मूल्य ह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनियम व्यापार और ऋण की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के कारण आई हैं ,

(iii) ऐसी फर्में दिवालिया और सम्पत्ति संबंधी ऐसे कानूनों के अधीन है जो फर्मों के प्रचालन हेतु कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी प्रदान करते हैं; और

(iv) विनियम दर परिवर्तन बाजार दर पर किया जाता है,

किन्तु रूस और चीन जमवादी गणराज्य की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, जहां इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट कारकों के बारे मे लिखित में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह

प्रदर्शित किया जाता है कि ऐसी ही एक अथवा अधिक फर्मों के लिए विद्यमान बाजारी दशाएं पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 1 से 6 तक (उपरोक्त नियमों के अनुबंध-I) में निर्धारित सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है।

टिप्पणी

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में शामिल हैं :- अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चीन जनवादी गणराज्य, जार्जिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, रूस ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उजबेकिस्तान एवं विएतनाम । इनमें से ऐसा कोई देश जो यह प्रमाणित करना चाहता है कि वह इस पैराग्राफ में उल्लिखित मापदंड के अनुसार एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

उपरोक्त यथासंशोधित नियमों के अनुसार, याचिकाकर्त्ता ने भारत में संबद्ध वस्तु के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

उपरोक्त नियमों के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक अपने निर्यातों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से होने का दावा करते हैं तो उनके लिए उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होगा ।

जहाँ तक सिंगापुर के बारे में सामान्य मूल्य का संबंध है याचिकाकर्त्ता ने भारत में संबद्ध वस्तु के परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के लिए इस पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप मे विचार किया है ।

7. **निर्यात कीमत**

याचिकाकर्त्ता ने संबद्ध देशों से निर्यात कीमत का दावा गौण आंकड़ा स्रोतों अर्थात मै. इंटरनेशनल बिजनेस इन्फारमेशन सर्विस, मुंबई के आधार पर किया है जिसके आंकड़े सीमाशुल्क दैनिक सूची पर आधारित हैं । कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, लदान-उतराई व पत्तन व्यय तथा अंतर्राज्यीय भाड़ा के आधार पर समायोजन के दावे किए गए हैं । प्राधिकारी ने इसे प्रथमदृष्टया निर्यात कीमत के लिए साक्ष्य के रूप में माना है ।

8. **पाटन मार्जिन**

इस बात के प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे इस बात का प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यातकों द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

9. **क्षति और कारणात्मक संबंध**

क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंड जैसेकि बिक्री वसूली, उत्पादन लागत से कम कीमत कटौती, क्षमता का कम उपयोग इत्यादि यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हैं । पाटित कीमतों पर संबद्ध सामग्री के आयातों से घरेलू उद्योग न केवल अपनी सामान्य बिक्री कीमत प्राप्त करने से बंचित रह गया है अपितु यह घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहे से भी बंचित कर रहा है । घरेलू उद्योग को अपने आरंभिक चरण में ही बढ़ती हुई मांग के बावजूद भारी क्षति हुई है । संबद्ध देशों से हुए पाटित आयात उद्योग की स्थापना में वास्तविक गिरावट लाने वाला प्रथमदृष्टया कारण है ।

10. **पाटनरोधी जांच का आरंभ**

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटन-रोधी जांच आरंभ करते हैं ।

11. **जांच की अवधि**

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल,2001 से 30 सितम्बर,2001 तक की है ।

12. **सूचना देना**

इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत के आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करे तथा अपने विचारों से अवगत कराए ।

उक्त नियम के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन वस्तु के ऐसे औद्योगिक उपयोक्ताओं को भी अवसर प्रदान कर रहे हैं जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं । कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अपने अनुरोध कर सकती है ।

13. **समय सीमा:**

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच

जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें याचिका तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2001

Subject : Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports into India of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base originating in or exported from China PR and Singapore.

No. 51/1/2001-DGAD.— M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut, U.P. has filed a petition in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base originating in or exported from Peoples' Republic of China and Singapore (hereinafter referred to as subject countries) and requested for initiation of Anti Dumping investigations and levy of anti dumping duties.

2. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION:**

The product under consideration in the present petition is "D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (also known as D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine, D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine, Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, Para Hydroxy Phenyl Glycine " (hereinafter referred to as subject material/PHPG Base). Subject Goods is converted in-situ to " D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt " (herein after referred as 'PHPGDS') by the various importers / manufacturers and used for the production of Amoxycillin (bulk drug) and Cefadroxyl.

Petitioners have claimed that PHPG Base is classified under Customs chapter 29.42 in the category of Other Organic compound. PHPG Base is classified under Customs sub-heading no. 2942.00. As per ITC eight-digit classification PHPG Base is classified in others category i.e. in 2942.0029.

However, the Customs Classification is indicative only above and not binding on the scope of present investigation.

They have further mentioned the monthly statistics of imports from DGCI&S is available only upto 2000-01. The intensity of dumping increased basically from Feb, 2001 when petitioner has started its pilot plant and distributed samples to various customers in India. Since the subject material is classified in others category, the statistics shown in DGCI&S data is not representative as others organic compound are also cleared under the same Customs headings.

Since for PHPG Base the DGCI&S data does not give the accurate imports data, petitioner has relied upon the data of secondary source i.e. from International Business Information Services, Mumbai. The data provided by the agency is based on Customs Daily Lists.

3. DOMESTIC INDUSTRY

The petition has been filed by M/s Daurala Organics Limited. The petitioner is the sole producer of subject material in India. Prima facie the petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

4. COUNTRIES INVOLVED:

The countries involved in the present investigation are the China PR and Singapore.

5. LIKE ARTICLE:

The petitioner has claimed that the goods produced by them are Like Article to the goods originating in or exported from subject countries. Therefore, for the purpose of the present investigation, the goods produced by the petitioners are being treated as 'like articles' of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

6. NORMAL VALUE:

Annexure 1 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 had been amended vide Notification No. 44/99-CUS (NT), dated 15-7-99 and subsequently Notification No.

28/2001(N.T.) dated 31st May, 2001whereby the following Principle 7 had been added: -

"In case of imports from non-market economy countries, Normal Value shall be determined on the basis of the price of constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the Designated Authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

Vide Custom Notification No.28/2001(NT) dated 31.5.2001, further Principle 8 as under has also been inserted and in the Note appended thereto Peoples' Republic of China has been included in the list of non-market economy countries:

"The term "non market economy country" subject to the Note to this paragraph means every country listed in the note and includes any country which the Designated Authority determines and which does not operate on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. While making such determination, the Designated Authority shall consider as to whether,

(i) the decision of concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in respect to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and

whether cost of major inputs substantially reflect market values;

(ii) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write offs, barter trade and payment via compensation of debts;

(iii) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(iv) the exchange rate conversions are carried out at the market rate;

Provided that in view of the changing economic conditions in Russia and in the Peoples' Republic of China, where it is shown on the basis of sufficient evidence in writing on the factors specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms are subject to anti-dumping investigations, the Designated Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 (of Annexure 1 of Rules supra) **instead of the principles set out in this paragraph.**

Note: For the purpose of this paragraph, the list of non-market economy countries is Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Peoples' Republic of China, Georgia, Kazakstan, North Korea, Kyrghyzstan, Mongolia, Russia, Tajikstan, Turkmeistan, Ukraine, Uzbekistan and Vietnam. Any country among them seeking to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in this paragraph, may provide all necessary information which shall be taken due account by the Designated Authority."

In accordance to the Rules as amended above, the petitioner has claimed Normal Value for China PR based on the basis of Constructed Normal Value of the subject goods in India.

In terms of the aforesaid Rules it will be incumbent upon the exporters from the China PR, in case they claim their exports to be from market economy country, to provide sufficient evidence to the Designated Authority in accordance with the aforesaid Rules.

Regarding Normal Value in respect of Singapore the petitioner has has claimed Normal Value on the basis of Constructed Normal Value of the

subject goods in India. The Authority has considered the same as prima facie evidence for normal value..

7. EXPORT PRICE:

The petitioners have claimed the export price from the subject countries based on the secondary data sources, i.e. M/s International Business Information Service, Mumbai whose data is based on the Customs Daily List. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission loading unloading and port expenses and inland freight to arrive at the Export Price at ex-factory level. The Authority has considered the same as prima facie evidence for export price.

8. DUMPING MARGIN

There is prima facie evidence that Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating prima facie that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Various parameters such as low sales realisation, below cost of production, price suppression, lower utilisation of capacity etc., show injury being suffered by domestic industry. The imports of subject material at dumped prices has not only prevented the domestic industry from reaching its normal selling price but is also preventing the domestic industry to remain in the market. The domestic industry has suffered huge losses at its nascent stage itself, in spite of a growing demand. Dumped imports from subject countries are prima facie reason causing material retardation of the establishment of the industry.

10. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

11. PERIOD OF INVESTIGATION: The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is Ist April, 2001 to 30th September, 2001.

12. SUBMISSION OF INFORMATION : The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, New Delhi – 11 00 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, who can furnish information, which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the in tigation within the time limit set out below.

13. TIME LIMIT: Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

14.INSPECTION OF PUBLIC FILE: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the petition & evidence submitted by other interested parties. In case where an interest party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.